समाहरणालय, खगड़िया
(जिला निर्वाचन शाखा)

निविदा प्रपत्र — प्रपत्र मूल्य – 500.00 (पांच सौ) रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

टेन्ट, शामियाना, विद्युत कार्य, जेनरेटर आदि के लिए निविदा

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों कों संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला कय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
6. निविदाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
7. निविदाताओं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
8. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी।
9. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
10. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा आदेशित कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा । इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा। साथ ही, अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में 50,000/–(पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया निविदा ही मान्य होगा।
4. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है।
5. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से आदेशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

13/7/1

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

समाहरणालय, खगड़िया
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
<u>टेन्ट, शामियाना, विद्युत कार्य, जेनरेटर आदि के लिए निविदा</u>

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के संचालन के क्रम में गठित विभिन्न कोशागों, पुलिस बल के आवासन स्थल, मतगणना आदि में उपयोग हेतु शामियाना, कुर्सी, टेबुल, जेनरेटर, माइक सेट, बिजली सामग्री आदि भाड़े पर लिया जाना है। वैसे निबंधित एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभिन्न स्थलो पर स्थापित भाड़े पर इन सामग्रियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार करने के इच्छुक हैं, वे दिनांक 24.07.2015 के अपराह्न 03:00 बजे तक मुहर बन्द लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया में दे सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता फर्म के मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं। निविदा द्विलिफाफ़ा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। निविदादाता फर्मो को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफा में समर्पित करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे, उन्ही फर्मो की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के साथ निविदादाता को 50,000/–(पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से देय हो, संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, खगड़िया से 500.00 (पांच सौ) रूपये भुगतान कर कार्यालय अवधि में दिनांक 23.07.2015 के अपराह्न 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

13/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।

ज्ञापांक 454/निर्वा0 दिनांक 13/07/15

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, खगड़िया।